

13 अगस्त, 2024

कार्यकारी आदेश 2024-02

स्थापना के लिए कार्यकारी आदेश वृद्धावस्था के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना

जबकि, इलिनॉय ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं कि वृद्ध लोग सम्मान और स्वतंत्रता के साथ वृद्धावस्था बिता सकें; तथा,

जबकि, वृद्ध वयस्क अमेरिकी जनसंख्या का सबसे तेजी से बढ़ता अनुपात हैं; तथा,

जबकि, इलिनॉय में 2.8 मिलियन लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक इलिनॉय की 25% आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की होगी; तथा,

जबकि, वृद्ध वयस्कों ने इस राज्य के समुदायों के स्वास्थ्य और जीवंतता में योगदान दिया है और देते रहेंगे; तथा,

जबकि, जनसंख्या की वृद्धावस्था इलिनॉय के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है; तथा,

जबकि, लंबे समय से चली आ रही प्रणालीगत असमानताएं इस बात को आकार देती हैं कि व्यक्ति वृद्धावस्था तक कैसे पहुंचता है और उम्र बढ़ने के साथ उसके जीवन की गुणवत्ता कैसी रहती है; तथा,

जबकि, वृद्ध वयस्कों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, प्रत्यक्ष देखभाल कार्यकर्ताओं और पारिवारिक देखभालकर्ताओं की मांग बढ़ रही है, जिनमें से कई वृद्ध, अश्वेत, स्वदेशी, रंग के लोग और ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें काम, बच्चों के पालन-पोषण और वृद्ध वयस्कों की देखभाल के बीच संतुलन बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ता है; और,

जबकि, सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों, संसाधनों और अनौपचारिक सहायता की व्यापक श्रृंखला तक पहुंच, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण वृद्धावस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देती है; और,

जबकि, इलिनॉय में विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई से वृद्ध इलिनोइसवासियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने तथा स्वस्थ वृद्धावस्था और स्वस्थ इलिनॉय को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आकार देने में मदद मिल सकती है; तथा,

जबकि, वृद्धावस्था के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना ("MPA") एक व्यापक खाका है जिसे वृद्धों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और सहायता सेवाओं की एक समन्वित प्रणाली बनाने के लिए तैयार किया गया है जिसे राज्य अपनी विशिष्ट विशेषताओं, इतिहास और मौजूदा वृद्धावस्था और विकलांगता पहलों के आधार पर विकसित करता है;

इसलिए, मै, जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), इलिनॉय राज्य के संविधान के अनुच्छेद V द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के आधार पर, निम्नानुसार आदेश देता हूं:

1. वृद्धावस्था के लिए बहु-क्षेत्रीय योजना पर एक अंतर-एजेंसी टास्क फोर्स ("MPA टास्क फोर्स") की स्थापना की गई है।

2. वृद्धावस्था समुदाय सलाहकार परिषद ("MPA समुदाय सलाहकार परिषद") के लिए एक बहु-क्षेत्रीय योजना की स्थापना की गई है।
3. एक मुख्य योजना अधिकारी ("प्रमुख") की स्थापना की गई है, जो इलिनॉय के जरण विभाग ("IDoA") में कार्यरत होगा, तथा IDoA के निदेशक को रिपोर्ट करेगा। प्रमुख MPA टास्क फोर्स की अध्यक्षता करेंगे और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद की सह-अध्यक्षता करेंगे।
4. प्रमुख इलिनॉय समुदायों में स्वस्थ वृद्धावस्था को समर्थन देने के लिए स्पष्ट और मापनीय उद्देश्यों के साथ MPA के राज्य के विकास और कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगे।
5. IDoA, प्रमुख, MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद को अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए राज्यव्यापी विशेषज्ञता वाले एक अनुसंधान साझेदार की पहचान करेगा।
6. प्रमुख MPA से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्माता और प्रवक्ता के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें कानून, नियम और बजट के विकास के माध्यम से बहु-एजेंसी प्रयासों का समन्वय करना भी शामिल है।
7. MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद, प्रमुख के नेतृत्व में, आवश्यकतानुसार वर्ष में कम से कम तीन बार संयुक्त रूप से या अलग-अलग बैठक करेंगे।
8. MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद द्वारा सूचित किए जाने पर, प्रमुख इलिनॉय राज्य MPA विकसित करेंगे, जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक राज्यपाल (गवर्नर) और जनरल असेंबली को सौंप दिया जाएगा, साथ ही एक अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट 31 दिसंबर, 2026 तक सौंपी जाएगी। MPA एक व्यापक रणनीतिक योजना होगी जिसमें कैलेंडर वर्ष 2026 से 2036 तक के मापन योग्य परिणाम शामिल होंगे, जिसका लक्ष्य इलिनॉय को वृद्धावस्था-अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत करना है। योजना में निम्नलिखित कार्यों की सिफारिश की जा सकती है:
 - a. आयु-संबंधी जनसांख्यिकीय परिवर्तन और उनके प्रभाव पर चर्चा,
 - b. देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और देखभाल करने वालों को सहायता प्रदान करना,
 - c. वृद्ध व्यक्तियों को अपने घरों और समुदायों में रहने में बेहतर ढंग से सक्षम बनाने के लिए दीर्घकालिक सेवाओं और सहायता की गुणवत्ता, पहुंच और उपलब्धता में सुधार करना,
 - d. वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करना तथा धोखाधड़ी और वित्तीय शोषण को रोकना,
 - e. प्रौद्योगिकी तक पहुंच का विस्तार करना और डिजिटल विभाजन को पाटना, और
 - f. वृद्धावस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य समानता को आगे बढ़ाना।
9. प्रमुख को यह भी करना होगा:
 - a. वृद्ध इलिनोइसवासियों की सेवा के लिए स्थानीय योजनाओं को विकसित करने और लागू करने वालों के साथ नेतृत्व और सहयोग करें,
 - b. MPA के विकास के बारे में जानकारी देने के लिए वृद्धों, हितधारकों और अधिवक्ताओं को बुलाना,
 - c. अन्य राज्यों से जुड़ें और सीखें जिन्होंने MPA स्थापित किया है, और
 - d. संबंधित प्रयासों को एकीकृत करने के लिए अंतर-एजेंसी सहयोग की सिफारिश करना, उसे बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना, जिसमें इलिनॉय काउंसिल ऑन एजिंग, इलिनॉय कमीशन ऑन LGBTQ एजिंग, ब्लाइंड सर्विसेज प्लानिंग काउंसिल, इलिनॉय डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कमीशन और अन्य संबंधित राज्य बोर्डों, आयोगों, परिषदों और टास्क फोर्स के साथ समन्वय में वृद्धावस्था पर राज्य योजना शामिल है।
10. MPA टास्क फोर्स में राज्य एजेंसियों के नेता शामिल होंगे, जिन्हें एजेंसी के निदेशकों या सचिवों द्वारा प्रमुख के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित का एक प्रतिनिधि शामिल होगा:
 - a. जरण विभाग (डिपार्टमेंट ऑन एजिंग)
 - b. सुधार विभाग
 - c. वाणिज्य और आर्थिक अवसर विभाग
 - d. स्वास्थ्य सेवा और परिवार सेवा विभाग
 - e. मानवाधिकार विभाग

- f. मानव सेवा विभाग
 - g. बीमा विभाग
 - h. श्रम विभाग
 - i. सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग
 - j. परिवहन विभाग
 - k. वयोवृद्ध मामलों का विभाग
 - l. इलिनॉय आवास विकास प्राधिकरण
 - m. इलिनॉय संरक्षकता और वकालत आयोग
 - n. बेघर होने से रोकने और समाप्त करने के लिए कार्यालय
 - o. राज्य लोकपाल कार्यालय
 - p. प्रमुख की सिफारिश पर, टास्क फोर्स के कार्य को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राज्य एजेंसियों के सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है।
11. MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद में विविध हितधारक शामिल होंगे जो इस कार्यकारी आदेश में वर्णित लक्ष्यों और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 12. MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद की सह-अध्यक्षता प्रमुख और राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा नामित एक अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी तथा इसमें 25 से अधिक लोग नहीं होंगे; सदस्यों को राज्य की भौगोलिक, नस्लीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रमुख की सिफारिश पर, MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद के कार्य को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है।
 13. MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद सर्वसम्मति से कार्य करने का प्रयास करेंगे; तथापि, जब तक उनमें से प्रत्येक के पास कोरम है, वे उपस्थित सदस्यों के बहुमत के सकारात्मक मत के आधार पर उपायों को अनुमोदित कर सकते हैं और सिफारिशें कर सकते हैं।
 14. MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद के अधिकांश सदस्य राज्यपाल (गवर्नर) की इच्छानुसार कार्य करेंगे। यदि राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो तो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। जब तक वे अपनी मौजूदा सीट के योग्य बने रहेंगे तब तक सदस्य उनकी सेवा करते रहेंगे जब तक कि आगे चलकर कोई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं होती।
 15. MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी।
 16. किसी भी उप-कानून, नीति या प्रक्रिया को अपनाने के अलावा, MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद के सभी संचालन इलिनॉय सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (5 ILCS 140/1 *इत्यादि*) और इलिनोइस ओपन मीटिंग्स अधिनियम (5 ILCS 120/1 *इत्यादि*) के प्रावधानों के अधीन होंगे। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह अन्य कानूनों को MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद तथा उनकी संबंधित गतिविधियों पर लागू होने से रोकता है।
 17. IDoA MPA टास्क फोर्स और MPA सामुदायिक सलाहकार परिषद को समर्थन देगा। इलिनॉय मानव सेवा विभाग, इलिनॉय लोक स्वास्थ्य विभाग, चिन्हित अनुसंधान साझेदार, तथा MPA के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध निजी परोपकारी फाउंडेशन साझेदारों द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।
 18. इस कार्यकारी आदेश में किसी भी बात को किसी संघीय या राज्य कानून या विनियमन का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा। जब तक इस आदेश में विशेष रूप से संदर्भित न किया जाए, इस आदेश की कोई भी बात किसी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगी या किसी राज्य एजेंसी के पुनः असाइनमेंट या पुनर्गठन के रूप में नहीं समझी जाएगी।
 19. यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान को उलट देता है।

20. यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई भी अंश किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा अमान्य पाया जाता है तो शेष उपबंध पूर्णतः लागू एवं प्रभावी रहेंगे। इस कार्यकारी आदेश के उपबंध विच्छेदनीय हैं।
21. यह कार्यकारी आदेश स्टेट सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) के पास दाखिल होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएगा और निरस्त होने तक लागू रहेगा।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker),

राज्यपाल (गवर्नर)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा जारी: 13 अगस्त, 2024

राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) के पास दायर: 13 अगस्त, 2024